ख़ादिमों की कहानि इतिहास की ज़ुबानी

इतिहास के भील
आज के
खादिम

नज़राने के
नाम पर
खादिमों की चाँदी

दरगाह हज़रत ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती
अजमेर
१९९५

ख़ादिमों की कहानी इतिहास की ज़ुबानी

भिलों के चंगुल में अजमेर वाले ख्वाजा

तथाकथित दरगाह के खादिमो का ख़्वाजा साहेब के श्रद्धलुओं की श्रद्धा से एक तराह का बलात्कार । क्या ख़्वाजा के श्रद्धालु इन तथाकथित ख़ादिमों के हाथों दरगाह की बदनामी व बर्बादी देखना पसंद करेंगे ?

लाखा भील, टेका भील बनाम दरगाह के तथाकथित खादिम

यह जानकारी हासिल करने से पूर्व हमें सबसे पहले भारत में ख़्वाजा के आगमन से पहले भारत की भौगोलिक स्थिति को जानना और दृष्टिगत रखना जरुरी है और ख़्वाजा साहब के भारत आगमन के बाद के हालात पर एक दृष्टि डालना आवश्यक है। साथ ही भारत में ख़्वाजा साहब की आमद की वजह भी जानना जरुरी है।

ख्वाजा साहब का हिन्दुस्तान में आगमन

ख्वाजा साहब ५८८ हिजरी में भारत आये उन दिनों अजमेर में राजा पृथ्वी राज चौहान और देहली में उनका भाई खाण्डेराव हुकूमरां थे। फौज में जयचन्द की हुकुमत थी उसके साथ ही उस वक्त भारत में भिन्न-भिन्न रियासतें थीं जहां पर हिन्दु राजा हुकुमरानी करते थे। जब ख़्वाजा साहब भारत आये और भारत आकर अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान भी अजमेर में ही था।

ख्वाजा साहब के आगमन का कारण और उस समय भारत की स्थिति

ख़्वाजा साहब के हिन्दुस्तान में आगमन से पूर्व इस्लाम धर्म की रौशनी भारत में पहुंच चुकी थी। उसके अतिरीक्त सुलतान मेहमूद गजनबी के हमलों ने मुसलमानों के लिये हिन्दुस्तान में आने के दरवाजे खोल दिये थे, लेकिन इन हमलों से इस्लाम को कोई खास फायदा हासिल नहीं हुआ। हिन्दुस्तान में कुछ लोग अंधकार में घिरे हुए थे हर आदमी ने अपनी पूजा के लिये कई-कई भगवान बना रखे थे और लोगों ने अपने आप को कई गिरोह में बांट रखा था इनमें कई गिरोह उंचे गिने जाते थे जैसे ब्रहम्ण क्षत्रिय आदि। यह दुसरे गिरोह को आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे और ना ही उन्हें अपने पास बैठाते थे बल्कि उनको अनादर की दृष्टि से देखते थे। इन सब बुराईयों में सुधार लाने के लिये ही ख़्वाजा साहब को हिन्दुस्तान जाने का आदेश प्राप्त हुआ। और इस तराह ख़्वाजा साहब ने भारत की यात्रा की और भारत में पहुंच कर अजमेर ही को अपना निवास स्थान बनाया। यहां से इस्लाम धर्म का प्रचार शुरु किया आपके उपदेशों और इस्लाम धर्म की अच्छाईयों को देखकर और और उन्हें सुनकर लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करना शुरु किया, और अपना हाथ ख़्वाजा साहब के हाथों में देकर , अपना धर्म गुरु दिलो जान से स्वीकार किया। इस तरह ख़्वाजा साहब ने इस्लाम धर्म के प्रचार में अति आवश्यक भूमिका निभाई।

उपरोक्त वर्णित एतिहासिक तथ्यों पर दृष्टि डालने के पश्चात सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह ख़्वाजा साहब की दरगाह कि तथाकथित खादिम कौन है? कहां से आये? किस की औलाद हैं? इस सम्बंध में हमें हर प्रकार से एतिहासिक पुस्तकों और

समय-समय पर न्यायालय के निर्णयों की रौशनी में सोच विचार करना होगा और इन तथाकथित दरगाह के खादिमों की असलियत मालूम करनी होगी कि आखीर कर यह लोग कहां से आये ,यह कौन लोग हैं? और इनके दरगाह में क्या कार्य हैं, व क्या खिदमात हैं?

लेकिन पाठकों के लिये आश्चर्य की बात यह है कि इन तथाकथित खादिमों में कोई अपने आप को ''काजमी'' बताता है, तो कोई ''मदनी'' कोई ''संजरी'' कहता है तो कोई ''गरदेजी'' ''हाशमी'' कहता है तो कोई ''चिश्ती'' कोई ''सैयद'' कहता है कोई ''शेख'' यहां जब यह दावा है कि वह (तथाकथित खादिम) जो अपने आप को धोखा देकर ख़्वाजा साहब के वंशज कहते हैं, तो सम्पर्क भी एक ही होना चाहिये लेकिन यहां तो भिन्न-भिन्न सम्पर्क है जबकि इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक सच्चाई यह है कि इन तथाकथित खादिमों के दो गिरोह हैं पहला गिरोह तथाकथित सैयद जादगान खादिमों का दूसरा गिरोह तथाकथित शेखजादगान खादिमों का । इन दोनों गिरोह ने अपनी अलग-अलग संस्था बना रखी है जो निम्नलिखित नामों से जानी जाती है :-

(१) अंजुमन मोइनियाफ्खरिया चिश्तीया, सैयद जादगान (रजि) खुददाम ख़्वाजा साहेब अजमेर।

(२) अंजुमन यादगार चिश्तीया शेखजादगान (रजि) अजमेरखुददाम ख़्वाजा साहेब अजमेर।

ख़्वाजा के श्रद्धालुओं के साथ तथाकथित खादिमों का धोखा ख़्वाजा के तथाकथित खादिमों की असलियत और उनके जन्म के सिल सिले में ही तथाकथित खादिमों के भिन्न-भिन्न बयानात :-

ख़्वाजा साहब की दरगाह के इन तथाकतिथ खादिमों के जन्म के सम्बंध में इन तथाकतिथ खादिमों के ही भिन्न बयानात हैं। इस सम्बंध में तथाकथित सैयद जादगान खादिमों का कहना है कि हम ख़्वाजा साहब के गुरु के महाराज हजरत ख़्वाजा उसमान हारुनी (र.अ) के मुराद चेले की औलाद से हैं। और तथाकथित शेख जादगान खादिमों का कहना है के हम ख़्वाजा साहेब (मुरीद) चेले की औलाद से हैं कहीं पर इन दोनों का बयान इस प्रकार है कि ख़्वाजा साहेब के चचाजान भाई की औलाद से है और कारणवश मुझे इनकी ऐतिहासिक हकीकत उजागर करने की इच्छा हुई और मुझे अन्त में अपने मकसद में कामयाबी हुई जो मुझे जानकारी इस विषय में प्राप्त हुई वह इस ऐतिहासिक लेख के जरिये में उन तमाम श्रद्धालुओं जायरीनो तक पहुंचाना चाहता हूं जो असलियत और हकीकत से अन्जान है। इस सम्बंध में सबसे पहले खादिमों के तथाकतिथ सैयद जादगान गिरोह पर विस्तारपूर्वक रोशनी डालना चाहूंगा जिनका भिन्न-भिन्न बयान इस प्रकार है :-तथाकथित सैयद जादगान खादिमों के द्वारा श्रद्धालुओं जायरीनों को तथाकथित फकरुद्दीन गुरदेजी की औलाद से बता कर धोका देना ।

तथाकथित सैयद जादे खादिम अपने आप को तथाकथित फकरुद्दीन गुरदेजी की औलाद से होना बताते हैं और यह कहते हैं कि यह तथाकथित फखरुद्दीन गुरदेजी की औलाद से होना बताते हैं और यह कहते हैं कि यह तथाकथित फखरुद्दीन गुरदेजी हजरत ख़्वाजा उस्माने हारुनी के चेले थे कहीं पर यह ख़्वाजा साहब के चचाजान भाई की औलाद होना साबित करते हैं। इस प्रकार से यह तथाकथित खादिम लोग दरगाह दर्शन को आने वाले हर यात्री (जायरीन) आदि को चाहे वह मुस्लिम हो या हिन्दु सिख हो या इसाई भारतवासी हो या विदेशी हर धर्म के लोगों को यह अपने झुठे बयानात के जरिये अन्धकार में रखते हैं और तरह तरह से भटकाते हैं। इस प्रकार से सच्चाई को श्रद्धालुओं पर प्रगट नहीं होने देते । इस प्रकार से दरगाह के दर्शन को आने वाला दर्शनार्थी हकीकत से दूर होजाता है जैसा की यह तथाकथित खादिम हर आने वाले को कहते हैं दर्शनार्थी उसी को सब मान लेता है। उपरोक्त वर्णित लेख की पुष्टि के लिये

और अंग्रेजी अनुवाद को देखने का अवसर प्राप्त हुआ । इन अनुवादों में यह देखने की कोशिश (प्रयास)की गई है कि जब ख़्वाजा साहब भारत तशरीफ लाये और अजमेर में निवास किया तो उस समय यह तथाकथित फकरुद्दीन गरदेजी भी क्या हकीकत में ख़्वाजा साहब के साथ भारत आये थे? और क्या अजमेर में यह तथाकथित फखरुद्दीन रहे या नहीं? इन तथाकथित फखरुद्दीन की औलाद भी हुयी या नहीं? इनकी कब्र अजमेर में है या नहीं ?यह सैयद भी थे या नहीं ? इस संबध में तथाकथित सैयद जादे खादिमों का बयान है कि यह तथाकथित फखरुद्दीन गरदेजी ख़्वाजा साहब के साथ भारत आये और अजमेर में ही ख़्वाजा साहब के साथ साथ रहे और यहीं इनका मजार (कब्र) है। इस हकीकत को जानने के लिये निम्नलिखित एतिहासिक पुस्तकों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना आवश्यक है इनमें (१) अस्बारुलअखयार (२) आईनेअकबरी (३) तुजके जहांगिरी (४) सफीनतुलऔलिया (५) तारीखे हिन्द (६) ताजुलमआसिर (७) लमआ तुअनावर (८)मदाईनुलमोईन (६) तजकेरातुस्सादात (१०) तारीखे कड़ा मानकपुर (११) मगरे मेरवाड़ा की कोमों का इतिहास (१२) मोईनुलअरवाह (१३) आहसानुसियर (१४) दि शराईन एण्ड इस्कलट ऑफ हजरत ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती का अवलोकन करने पर भी इन तथाकथित फखरुद्दीन गरदेजी का भारत में आना और अजमेर में निवास करना सहित नहीं होता है। और नहीं यह इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्त्कों से इन तथाकथित खादिमों के उपरोक्त वर्णित कथन की पुष्टि होती है कि मौजुदा तथाकथित सैयद जादगान खादिम इन तथाकथित फखरुद्दीन गरदेजी की औलाद से है।

इसलिये तथाकथित खादिमों का (सैयद जादगान खादिमों का) उपरोक्त कथन बिल्कुल बेबुनियाद और झुठा है और सिवाय धोखादही के कुछ भी नहीं है। क्योंकी जिनकी औलाद से यह अपने आपको साबित करते हैं वह कभी ख़्वाजा साहब के साथ न तो भारत आये और न अजमेर में उन्होंने निवास किया । और न ही उनका मजार अजमेर में है और न ही कोई सन्तान अजमेर में है यह मात्र एक धोखा है और कुछ भी नहीं ।अब आते हैं तथाकथित खादिमों के दुसरे गिरोह अर्थात तथाकथित शेख जादगान खादिमों की ओर ताकि उनकी असलियत श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों पर प्रकट हो जाये कि ख़्वाजा साहब की दरगाह की तथाकथित दोनों अंजुमनों में विभक्त तथाकथित खादिमों की कली असलियत उजागर हो जाय।

तथाकथित शेखजादगान खादिमों का श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों का तथाकथित मोहमद यादगार को औलाद से होने का गलत दावा करना।

अजमेर और उसके आस पास तथा उसके चारों ओर में तथाकथित खादिमों का यह दूसरा गिरोह शेखजादगान खादिमों के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है। इन तथाकथित शेखजादगान खादिमों का बयान है कि हम लोग ख़्वाजा साहब के मुरीद तथाकथित मोहमद यादगार की औलाद से हैं। इस सम्बंध में भी ऐतिहासिक किताबों का अवलोकन करना आवश्यक है कि यह तथाकथित मोहमद यादगार कौन थे? क्या यह वाकई ख़्वाजा साहब के साथ भारत आये? और अजमेर में निवास किया और क्या यहीं दफन हये या उनका मजार अजमेर में है? क्या तथाकथित शेखजादगान उसी तथाकथित मोहमद यादगार की औलाद से सम्बंधित है? इस बात की पुष्टि के लिये ऐतिहासिक पुस्तकों का अवलोकन करने पर **सिवाय ऐतिहासिक पुस्तक तारीखे फरीश्ता किताब का सफहा नम्बर (पृष्ट सं. ३६ व ३७ (५७०-५७१-५७२)) मुन्शी नवलकिशोर प्रेस का एडीशन** से यह बात साबित होती है कि मोहमद यादगार हिरात का हाकिम था और हिसार शादमान में पहुंचकर ख़्वाजासाहब का चेला बना था और अपना माल व दौलत गरीबों में खैरात कर अपनी वैवाहिक पत्नि को तलाक देकर, फकीर संत होगया था।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह महोमद यादगार कौन था ? क्या यह सैयद था या शेख क्या यह मुगल था या पठान ? क्या वह शिया था या सुन्नी?इस सम्बंध में मौलाना अब्दुल हलीम शरर साहब ने अपनी जीवनी जिसका नाम ''तारीखे शरर''है ,की पृष्ट संख्या १७ व १८ पर शेख मोहम्मद यादगार के लिये यूं लिखते हैं कि जब ख़्वाजा साहब हिसार सब्जवार पहुंचे तो सब्जवार की हुकूमत शेख मोहम्मद यादगार नाम के एक ऐसे आदमी के हाथ में थी जो निहायत फासिक व फाजीज आदमी था और आपके हालात लिखने वाला बताते हैं कि यह मोहम्मद यादगार शिया धर्म का मान्ने वाला था यह वह आदमी था जो उन मुसलमानो को भी तरह-तरह से तकलीफ देता था जिनका नाम अबुबक्र, उमर या उस्मान होता था यहां तक वह उनको जान से मार डालने में भी कोई कसर नहीं रखता था लेकिन जब ख़्वाजा साहब की दृष्टि उस पर पडी तो ख़्वाजा साहब के चरणों में गिर पडा और ख़्वाजा साहब का चेला बन गया उसने चेला बन्ने के बाद अपनी वैवाहिक पत्नि तक को छोड दिया था और ख़्वाजा साहब के साथ होगया और काफी समय तक उनके साथ रहा तब ख़्वाजा साहब ने देखा कि यह अब पहले जैसा मोहम्मद यादगार नही रहा बल्कि अल्लाह से डरने वाला बन गया तो ख़्वाजा साहब ने आदेश दिया के अब तुम्हें मेरे साथ रहने की आवश्यकता नहीं। अब तुम इसी इलाके सब्जवार में रहो और इस्लाम धर्म का प्रचार करो। इस तराह मोहम्मद यादगार हिसार शादमान मे ही रहा हिसार शादमान में ही उसका देहान्त हुआ और मोहम्मद यादगार की कब्र भी हिसार शादमान में ही है। इसकी पुष्टि ऐतिहासिक पुस्तक तारीखे फरीशता भी करती है इस प्रकार उपरोक्त कथन के जरिये इस ऐतिहासिक पुस्तक की रोशनी में यह साबित होता है कि यह मोहम्मद यादगार ख़्वाजा साहब के साथ न तो भारत आया था और न ही अजमेर में निवास किया और न इस मोहम्मद यादगार का मजार अजमेर में है। इस उपरोक्त कथन की पुष्टि मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी ने अपनी किताब ''निसारे ख़्वाजा'' के पृष्ठ संख्या ५६ से ७० तक पर भी की है। इसी कथन की पुष्टी पी.एम. क्युरी ने अपनी ऐतिहरसिक पुस्तक ''दि शराइण्ड एण्ड स्कल्ट आफ हजरत ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती आफ अजमेर के पृष्ट संख्या १४५, १४६, १४७ पर भी की है। यह पुस्तक आक्सफोर्ड प्रेस से प्रकाशित हुयी है और विश्व के १६ देशों में एक साथ छपी है। इसी उपरोक्त कथन की पुष्टि ''मदाईनुल मोईन नामी ऐतिहासिक पुस्तक के पृष्ट संख्या १३३ से भी होती है जो सर सालारजंग म्युजियम हैदराबाद में सुरक्षित हैं और इस समय अजमेर में हाजी सैयद सौलत हुसैन साहब के पास सुरक्षित है। जो किसी भी समय देखी जा सकती है।

इस आधार पर तथाकथित शेख जादगान खादिमों का यह कथन की हम तथाकथित मोहम्मद यादगार की औलाद से है बेबुनियाद एवं बिल्कुल आधारहीन हो जाता है और बेचारे भोले भाले (दर्शनार्थि श्रद्धालुओं जायरीनों) और आम लोगों को धोखा देकर अपना उल्लु सीधा करने व अपनी दुकान चलाने के अलावा कुछ भी नहीं है।

दरगाह के तथाकथित खादिमों को श्रद्धालुओं को दर्शनार्थियों व आम लोगों के अपने सैयद होने का धोखा देना

उपरोक्त कथन के अतिरिक्त इन तथाकथित खादिमों का बयान है कि हम सैयद हैं । इस संबंध में भी देखने वाले व पाठकों को धोखे में रखा है जबकि हकीकत या सच्चाइ यह है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र बहादुरशाह प्रथम जो औरंगजेब के बाद देहली तख्त पर बैठा वह बादशाह कहलाया उसके आदेशों से तजकरातुस्सादात नामक एक एतिहासिक पुस्तक लिखि गयी । जिसमें हिन्दुस्तान के तमाम सैयदों का और ख़्वाजा साहब की औलाद (अहलेसादात)का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया

है। जो पुस्तक लिखे जाने तक जिन्दा थे। इस पुस्तक के अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि उसमें भी कहीं पर खादिमों का कोई जिक्र नहीं है यह किताब बिहार स्टेट की लाइब्रेरी में सुरक्षित है और इस समय हाजी वजीर अली हाजी से सोलत हुसैन साहब और फजले मतीन के पास सुरक्षित है। इस प्रकार इन तथाकथित खादिमों का सैयद होने का दावा एवं प्रमाण भी बिल्कुल निराधार हो जाता है और सिवाय जायरीनों (श्रद्धालुओं को व आम जनता को धोखा देने के अलावा और कुछ नही।

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह तथाकथित खादिम कौन हैं? कहां से आये? यह जानकारी प्राप्त करने से पूर्व अजमेर की भौगोलिक स्थिति और उसकी ऐतिहासिकता को जानना अति आवश्यक है कि उस समय अजमेर में ही दो ही मोहल्ले थे बाकी तमाम वीरान बयाबान जंगल था और जो मोहल्ले आबाद थे उन मोहल्लोंमें से एक मोहल्ला लाखनकोठरी भी था जो आज भी अपने पूर्व ऐतिहासिक नाम से मशहुर है और जाना जाता है इस लाखन कोठरी का भी एक अलग इतिहास है।

तारीखे लाखन कोठरी (ऐतिहासिक लाखन कोठरी) मोहल्लाः-

यह लाखन कोठरी एक बहुत बड़ा मोहल्ला है यह ख़्वाजा साहब के अजमेर आगमन से पूर्व राजा पृथ्वीराज चौहान ने मीना नाम एक बहुत ही खखूबसूरत औरत (स्त्री) रख छोड़ी थी। यह स्त्री जाति से भील थी पृथ्वीराज चौहान के इस स्त्री से २१ पुत्र पैदा हुये जिसकी पुष्टि फौजदारी मुकदमा नं. ७० सन १९२८ ई. सरफराज बली बनाम मोहियुद्दीन उर्फ प्यारे मियां वाले केस में फरजन्द अली पुत्र वजीर अली ख़्वाजासाहब के १५ फरवरी-सन १९२६ को जनाब मांगीलाल दोसी मजिस्ट्रेट प्रथम अजमेर की अदालत में दिये गये बयान से भी होता है। और इसी बात की पुष्टि मगरे रेखाडा की कोमों का इतिहास भी करता है इनमें छः लड़कों का देहान्त हो चुका था बाकी १५ लड़कों में पृथ्वीराज के दौरे हुकुमत में ख़्वाजा साहब के अजमेर आगमन के समय इसी भील औरत के लड़के लाखाभील अपने दूसरे भाईयों टेकाभील शाखा भील भीखा भील और बिरधा भील के साथ इसी मोहल्ले में रहता था इसी लाखा भील के नाम से यह मोहल्ला लाखन कोठरी के नाम से कहलाया और आज भी इसी नाम से जाना जाता है और इसी नाम से आज भी मशहुर है। इस कथन की पुष्टि कर्नल जेमस होड की एतिहासिक पुस्तक टाड राजिस्थान से भी होती है और मोईनुल अरवाह नामक ऐतिहासिक पुस्तक की पृष्ट संख्या ४१० और ''आसानुरिसहर'' नामक इस पुस्तक की पृष्ट संख्या ७१ व ७२ से भी होती है। ''तारीखे ख़्वाजा अजमेर नामी ऐतिहासिक पुस्तक भी अपनी पृष्ट संख्या ७१ पर इस कथन की पुष्टी करती है। दूसरे यह कि उसी मोहल्ले में चांदी की खान थी, लेकिन जब देखा कि इस खान से चांदी निकलनी खत्म होगई तो उसे बंद करदिया कि अब खान से कोई लाभ नहीं है । अंग्रेजों के आगमन और मुगलों के आखिरी दौर में भी यह मोहल्ला एक वीरान जंगल था लेकिन जब १८७१ ई. के अन्त में इस शहर पर अंग्रेजों का कब्जा आगमन हुआ तो सेठ साहुकारों ने अमन व शान्ति का माहौल देखकर, अपने मकानात अंग्रेज अधिकारियों से आज्ञा लेकर निर्माण कर लिये जिन्होंने बाद में कोठियों का रुप धारण कर लिया।इसी लाखाभील की कब्र (मजार) मोहल्ला सिलावटान, उभरलो हताइ की गली मोहल्ला लाखन कोठरी में आज भी मौजूद है। इस बात की पुष्टि नवाब खादिम हुसैन कि ऐतिहासिक पुस्तक मोईनु अरवाह की पृष्ट सेख्या ४१० से भी होती है और आसानुस्सिहर नामक ऐतिहासिक पुस्तक कि पृष्ठ संख्या ७१ व ७२ भी इस बात की पुष्टिकरती है। १९४७ ई. तक यह तथाकथित खादिम लोग वहां जाते रहे है और लाखाभील का वार्षिक उर्स बनाते रहे हैं। आज सिर्फ हाजी इफतेखार अली पुत्र सरफाज अली ही एक ऐसे खादिम है जो अपने पूर्वज जिनसे इन तथाकथित खादिमों का वंश चला अर्थात लाखाभील के मजार पर पाबंदी से हाजिर होते है और फूल

अगरबत्ती आदि करते है और लेकिन जब इन तथाकथित खादिमों ने देखा कि अब हमारी असलियत जानने वाले भारत में नहीं रहे है तो इस बात का फायदा उठाकर ख़्वाजा साहब के गुम्बद में तोसाहा खाना में बने ख़्वाजा साहब की दोनों पत्नियों और परिवार के दूसरे सदस्यों के मजारात को तथाकथित फखरुद्दीन गुरदेजी की मजार कहना शुरु कर दिया और बेचारे भोले भाले लोगों से यहां भी रुपया ऐठना शुरु कर दिया है। इस प्रकार लाखन कोठरी की ऐतिहासिक मालुमात हासिल करने के बाद आते है जिसके नाम से यह मोहल्ला आबाद था और आज भी आबाद है। अर्थात लखानामी भील पर । यह २१ भाई थे जो पृथ्वीराज चौहान की अवैध सन्तान थे इन भाईयों में लाखा, टेका, शाखा, भीखा, जोधा, बिरधा हजरत ख़्वाजा साहब की सेवा में आये इस प्रकार ख़्वाजा साहब को अपना गुरु (पीर) स्वीकार किया यह घटना सं. ११७५ (चन्द्रभाट) की है। और उसी समय में विक्रमी सं. १२६५ था। इस प्रकार लाखाभील और टेकाभील के इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने के बाद इन दोनों भाईयों का इस्लामी नाम ख़्वाजा साहब ने रखा अर्थात लाखाभील का नाम फखरुद्दीन रखा और टेकाभील का मोहम्मद यादगार रखा इस प्रकार लाखा भील अर्थात फखरुद्दीन की औलाद से अपने आप को तथाकथित सैयद जादे खादिम कहलाने वाले तथाकथित खादिम है और टेकाभील अर्थात मोहम्मद यादगार की औलाद से अपने आप को तथाकथित शेख जादे कहलवाने वाले तथाकथित खादिम है। इस प्रकार आज जो अंजुमन मोईनिया फखरिया सैयद जादगान खुदा में ख़्वाजा साहब वाले हैं, वह लाखाभील की औलाद से हैं और अंजुमन यादगारे चिश्तीया शेख जादगान खुददामे ख़्वाजा साहब वाले है वह टेका भील की औलाद से हैं।

इस उपरोक्त वर्णित कथन की पुष्टि चन्द्रभाट की बही की पृष्ठ संख्या ४४,४५ से भी होती है। जो लाखा भील वाले एक फोजदारी मुकदमा में एकजीबिट (प्रदश)डी./४४ और डी/ ४५ के रुप में कोर्ट रेकार्ड पत्रावली में सलग्न है। इसी उपरोक्त कथन की पुष्ठि के संम्बंध में एक फौजदारी मुकदमा भी चला था जो सन १९३० ई. में निर्णित हुआ था। इसी नर्णिय में अजमेर की दरगाह के तमाम तथाकथित खादिमों को लाखाभील और टेका भील की औलाद से होना साबित किया गया है। यह मुकदमा इस प्रकार दर्ज हुआ था कि :-

इन्दि कोर्ट आफ दि ट्रेजरी आफिसर एण्ड मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्रिमनल केस नं. ७० सन १९२८ ई.

सरफराज अली पुत्र युसुफ अली खादिम आफ अजमेर कम्पलेनेन्ट वरसेज मोहियूद्दीन एलियस प्यारे मियां मुसलमान आफ अजमेर । एक्यूज्ड डिसाईटेड ऑन ३१/७/१९३० ई. बाई जवाहर लाल रावत मजिस्ट्रेड फर्स्ट क्लास अजमेर।

इन दिस केस दी कोर्ट होल्ड ऐज अण्डर देट लाखा एण्ड हिस बरदर टेका बिकेम मोमेडन इन सम्वत ११७५ (सम्वत-चन्द्र भाट) इट वोज सम्वत (विक्रमी) १२६५ दैन खादिम्स आर दि डिरेन्डन्टस ऑफ लाखा एण्ड टेका। लाखा एण्ड टेका वर भील लाखाज इस्लामिक नेम वाज फखरुद्दीन, टेकाज नेम वास मोहम्मद यादगार।

हिन्दी अनुवाद

न्यायालय ट्रेर आफिसर उण्ड मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग अजमेर
फोजदारी मुकदमा नम्बर-७०/१९२८ ई.
सरफराज अली पुत्र युसुफ अली खादिम अजमेर....वादी/प्रार्थी
बनाम
मोहियूद्दीन उर्फ प्यारे मियां मुसलमान निवासी अजमेर ...मुलजिम/प्रार्थी
निर्णित दिनांक ३१-७-१९३० ई. द्वारा जवाहर लाल रावत मजिस्ट्रेट प्रथम श्रणी अजमेर

उपरोक्त मुकदमा में अदालत ने निम्न निर्णय दिया कि लाखा और उसका भाई टेका सम्वत ११७५ (सम्वत-चन्द्रभाट)में मुसलमान हुये उस समय विक्रमी सम्वत-१२६५ था खादिम जो भी है वह लाखा और ट्टेका की औलाद (सन्तान)में से हैं। लाखा और टेका जाति से खुद भील थे लाखा का इस्लामी नाम फखरुद्दीन और टेका का मोहम्मद यादगार रखा गया था।

इस मुकदमा के आरंभ होने से पूर्व भी अजमेर की दरगाह के इन तथाकथित खादिमों ने अपने आपको और जिस को चाहा उसी को अपने आप में जोड लिया। या सम्बंधित कर लिया लेकिन मोहियूद्दीन उर्फ प्यारे मियां ने उनके बारे में कहा था कि :-
चूं मुसलमां गश्त आबुर्द ऐतकाद नाम लाखा भील फखरुद्दीन ने हाद

और इस प्रकार दरगाह के इन तथाकथित खादिमों और प्यारे मियां कि बीच आपस में मुकदमे बाजी शुरु हो गयी है। दोनो पार्टीयों ने अपने अपने सबूत पेश और ऐतिहासिक पुस्तकों का सहारा लिया और इस प्रकार अन्त में मोहियूद्दीन उर्फ प्यारे मिया ने तमाम कौम (तथाकथित सैयद जादगान व तथाकथित शेख जादगान)को लाखा भील,टेकाभील की औलाद से होना अदालत से मनवाकर छोडा इस केस की पुष्टि पी.एम. क्यूरी की ऐतिहासिक पुस्तक ''दि शराईण्ड एण्ड स्कल्ट आफ मोर्ठनुद्दीन चिश्ती आफ अजमेर की पुस्तक की पृष्ठ संख्या १४५,१४६और १४७ से भी होती है। यह पुस्तक ऑक्सफोर्ड प्रेस, लन्दन के द्वारा विश्व के १६ देशों ने एक साथ प्रकाशित हुयी हैं। इसी लाखा भील और टेका भील की पुष्टिके सम्बंध में हाजी इफ्तेखार अली भुतपूर्व अध्यक्ष अंजुमन लाखावलान और शेख रियाज मोहम्मद भुतपूर्व अध्यक्ष अंजुमन टेकावालान से जानकारी प्राप्त करने पर शेख रियाज मोहम्मद और उनकी अंजुमन के सदस्यों का कहना था कि दिनांक ६ अगस्त १६७१ को राजस्थान उच्च न्यायलय ने अपने निर्णय में इन दोनों अंजुमनों को लाखाभील और टेका भील की जायदाद में से आधा आधा हिस्सा बराबर का दिया है। लेकिन एक इकरार नामा के तहत टेकावालान की अंजुमन के साथ धोखा दे कर ११ अपने अंजुमन लाखा वालान के और ५ आने अंजुमन टेकावलान के ळिस्से के होना करार दिया हैतथा इस इकरार नामे में अपने अंजुमन के नाम के आगे लाखावालान नहीं लिखा है बल्कि हमारी अंजुमन के आगे टेकावालान लिखा लिया है। अतः उपरोक्त वर्णित शेख रियाज मोहम्मद का बयान आज भी लिखा व टेका की पुष्टि कर रहा है। वैसे भी लाखाभील का औलाद होने के संबंध में समय समय पर कई मुकदमे आपस में चलते रहे। इनमें एक मुकदमा नं. ३१४/१६२८ ई. शरीफ हुसैन बनाम दरगाह कमेटी अजमेर भी दायर हुआ था। इस मुकदमे में एक्जिबिट (प्रदर्शन) पी.-१२ की शक्ल में जो दस्तावेज पेश किया गया है वो इस तराह है।

मुकदमा नं.- ३१२/१६२८ एक्जिबिट (प्रदर्शन) बी-१२ शरीफ हुसैन बनाम दरगाह कमेटी, अजमेर
दरगाह हजरत ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के मुख्तसर हालातः-

दरगाह के आबाई (वंशानुगत) (शागिर्द पेशा) (मिनियल सवेन्टस)चौकीदारों और तकियादारों के गिगरोह ने जिनके शाहाने सल्फ से खिदमतें चौकीदारी अता हुई थी। दुनियावी हिर्सव तमा और जर के लिये लफजे चौकीदारी आर समणकर जायरीनें आसताना के सामने अपने आप को खादिम सैयद साहबजादे मशहुर किया सैयद को जकात व खैरात हराम है। और मशक्कत की रोजी हलाल है । यह डाकुओं का गिरोह हिन्दुस्तान के हर हिस्से में बेहरुपिये खानाबदोश की तरह गशत लगाता और उन जाहिलों को मुरीद करता है जिनको अपने पीर के हसब व नस्ब से वाकफियत नहीं । शराब और भंग पीकर आस्तानाय मुकद्दस में गाली गलौच बकना, उनके कलेमाते

पंखरिया है इस दरगाह पर मालेकाना तसरुफका दावा रखते हैं और अधरुने अहाते के हुजरों में बैठ कर दम लगाते हैं जहां किसी मुसाफिर नव वारिद को आता देखा चारों तरफ से मिस्ल गिद के मुरदार गोशत पर तिक्का बोटी के लिये टूट पडते है और ख़्वाजा साहब के अजाब से बराबर डोम ढाड़ी की तरह मिन्नत के अल्फाज बोलकर उनका तमाम मालोमता नजर में ले लेते हैं। हालाकि उनको नजर देने की कोई वजह नहीं। खुश एतेकाद जायरीनों को धोखा देने के लिये जोरदार अल्फाज में यह अदा करते हैं कि लफज साहब जादे से मुराद हजरत ख़्वाजा बुजुर्ग की औलाद व असाब है। नाउज बिल्लाह मिल जालिक वहनिस्बत खाकर बा आलमे पाक। मियां चौकीदार न तो दरगाह के मालिक हैं न ही पीर और ख़्वाजा साहब की औलाद और ना ख़्वाजा साहब के नक्शे कदम पर चलने वाले जिन बुजुर्गकी औलाद से है उनका इस मुबारक सैयद होना और साहेबजादे होना इस तारीखी से साफ जाहिर होता है।

चूं मुसलमां गश्त आवुर्द एतेकाद : नाम लाखा भील फखरुद्दीन हाद

तथाकथित खादिमों की धोखाधडी के जरिये श्रद्धालुओं की (जायरीनो)श्रद्धा से एक प्रकार का बलात्कार :-

अब पंश्न आता है शब्द की ओर की इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? खादिम शब्द का शाब्दिक अर्थ है नौकर वपरासी, चौकीदार जिसको महीना पगार या वेतन प्राप्त हो व दिया जाय। इस प्रकार अजमेर की दरगाह के तमाम तथाकथित खादिम (औलाद लाखा भील व टेका भील) अर्थात तथाकथित सैयद जादगान खादिम एवं तथाकथित शेखजादगान खादिम जो वंशानुगत नौकर, चौकीदार दरगाह कमेटी के हैं उनके नाम चौकीदारों की सूची में आज तक दरगाह कमेटी के कार्यालय में दर्ज रजिस्टर है। इस संबंध में दरगाह ख़्वाजा साहब ए.टन. नं. ३६ सन १९५५ को दरगाह के इन तथाकथित खादिमों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में दीवनी रिट पिटीशन नं.- १७/१९५७ ई. के रुप में दायर कर के उक्त एक्ट को चुनौती दी। तो उस पर दरगाह कमेटी अजमेर ने अपने लिखित उत्तर में जनाब इकबाल हुसैन पेशगार के द्वारा खादिमों की हैसियत (स्टेटस) पर भी उत्तर दिया गया और विस्तारपूर्वक रोशनी डाली इस प्रकार दरगाह कमेटी अजमेर ने अपने उत्तर में कहा कि तथाकथित खादिमों की हैसियत हमेशा चौकीदार की ही रही है। जो दरगाह कमेटी अजमेर के माहाना मुलाजुमान चौकीदार थे और आज भी हैं और इन तथाकथित खादिमों के नाम और इनके पूर्वजों के नाम दफ्तर दरगाह कमेटी अजमेर में सन १८२६ ई. से इरगाह के महारा तनख़्वाह याफता मुलाजिमान की सूचि वाले रजिस्टर में अंकित है। वह दर्ज रजिस्टर चले आ रहे हैं।

इसी संबंध में सन १९५४ ई. में सैयद अब्दुलवाहिद वगैराह खादिम ख़्वाजा साहब बनाम दरगाह कमेटी अजमेर में जो मुकदमा चला उस मुकदमे में दरगाह कमेटी अजमेर के जरिये अपने जवाब दावे में इन तथाकथित खादिमों को वंशानुगत चौकीदार साबित किया गया है और बतलाया है इसकी पुष्टि केन्द्रीय सरकार द्वारा बैठाये गये आयोग की रिपोर्ट दरगाह इनकारी कमेटी रिपोर्ट (आयोग की रिपोर्ट) की पृष्ठ संख्या- ६२ से ६६ से भी उजागर होती है। इसी संबंध में कर्नल चार्ल्स डिक्सन जो अजमेर के कमीशनर थे ने भी अपने निर्णय १८५६ ई. में भी इनको मुफ्तखोर और नौकर बताया है।

दरगाह के चौकीदारों तथाकथित खादिमों को शैतान की युनिर्वसिटी से वकालत की डिग्री

इस संबंध में सन १९२८ में मुकदमा नं. ३१४/१९२८ ई. शरीफ हुसैन बनाम दरगाह कमेटी अजमेर के दरमयान चला है। जिसमें एक्जीबीटपी १३- (प्रदर्शन-१३) गुजिश्ता से पेवस्त हजरत ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दरगाह में शिर्क व बिदअत का

नजारा दरगाह के चौकीदार फुकारा व तकियेदारजी ख़्वाजा के रुहाने फ्यूज व बराकात से मेहरुम और खिलाफे शरारस्मों व रिवाज के दिल दादा है अपनी इन्तजमी कोशिशों दरगाह में मन्दिरों की रस्में फैलाने और बेदीनी की राह बताने में निहायत कामयाब साबित हुये है। जिसकी तसलीम यह है के शाम को जिस तरह मन्दिरों के सामने आर्ती की पूजा करने वाले हाथ जोडकर खडे होते हैं उसी प्रकार आस्तानय आलिया के सामने जोहला हाथ बान्धे शमा अफरोज व नौबत नवाजी के मुन्तजिर खडे होते है और रात को दरवाजा बन्द होते वक्त जो हराकात जहूर में आती है बाईना मन्दिरों की नकल व हरकत का नमूना है। बानिये इस्लाम की शरियत के मनाफी और मन्दिरों की रस्मों के मुआफिक गर्ज कि बहुत सी नजा पेशे नजर है जिनका मारिजे तहरीर में लाना मसनेहतन मुनासिब न था। कलम अन्दाज किया । आकिलॉरा,इशारह,काफीअस्त।

इन चौकीदारों, फकीरों और तकिया दारों ने शैतान युनिवरसिटी से वकालत की डिगरी हासिल करके जियरते कबूल कराने के लिये वकालतनामों मुरतब किये और सादा लोह जायराने आस्ताना को गुमराह बनाने की वकालत के पेरोकार वकील बनकर दरगाह में पीरी मुरीदी की आड लेकर ठगने का पेशा अक्तियार किया और खैरात की चाशनी में लबे आज ऐसे शीरी हुये कि दरगाह ाी इमलाक के मोरुसी बनने के दावेदार हो गये। हालाकि दरगाह बक्फेए आम है। और तमाम मुसलमान उसके मुहाफिज मालिक व जिम्मेदारान है।

इसी संबंध में १६३७ ई. में प्रीवी कौन्सिल, लन्दन से हुये फैसलों में भी जो ए. आइ. आर. १६३८ की पृष्ठ संख्या ७१ से ७३ पर छपा हुआ है कि स्पष्ट रुप से लिखा हुआ है कि दि टोम्ब इन कोश्वन जनरली नान ऐज दरगाह ख़्वाजा साहब अजमेर। हैज फोर सेन्च्युरी पान्ट बीन प्लेसे आफ पिलगिरीमेज फार डिवांटि मुस्लिमस एण्ड दि प्रेजेन्टस मेड बाई दि पिलगिरीमेज टू दि दरगाह हैव लीड टू फ्री प्वाईन्ट डिस्पयूटस बिटवीन दि सज्जाद नशीन (कोल्ड दीवान साहब) आन दि वन साईड एण्ड दि खादिमस (सर्विटर्स)आफ दि अदर साईड दि सज्जादानशीन इस डिसेन्डेन्ट ऑफ दि सेन्ट।

हिन्दी अनुवाद

जो गुम्बद है वह आम तौर पर दरगाह ख़्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है और जोकई खादिमों से मुस्लिम अकीदतमन्दी का ताजीमी (पुजनीय स्थान) है। और दरगाह में अकीदत मंद (श्रद्धालुओं)जायरीनों के जरिये जो चढावा या नजराना पेश किया जाता है एक तरफ सज्जादानशीन (जो दरगाह दीवानी के नाम से पुकारे जाते हैं या जाने जाते हैं और दूसरी तरफ दरगाह के खादिम (नौकर) के बीच झगडे का सबब बन गया है। सज्जादानशीन जो है वोह गरीबनवाज की औलाद से हैं।

इसी संदर्भ में १६५६ में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिनांक २८ जनवरी १६५६ के निर्णय जो ए.आई.आर. १६५६ के पृष्ठ संख्या १७७ पर दपा हुआ है देट दि पोजीशन आफ दि पिटिशनस (खादिमस)हैज आल्वेज बीन डेट ऑफ सर्वेन्टस (चौकीदार) आफ दि होली टोम्ब एण्ड दैट दि नेम्स आफ दि पीटीशनर्स (खादिमस) एण्ड आफ देयर दिसेन्टेटस (प्रीडिसेशर्स) एक्जीस्टेड आन दि पिरोल ऑफ दरगाह आफिस सिन्स १८२६ ई.

हिन्दी अनुवाद

दरगाह के खादिम जो कि रीठ पीटिशन करता है कि.हैसियत हमेशा से दरगाह के नौकर चौकीदारों की रही है रीट प्रस्तुतकर्ता खादिम और उनके पूर्वजों के नाम दरगाह के महाना तनख्वाह याफताह मुलाजमीन की फेहरिस्त के रजिस्टर के बराबर है। लिहाजा यह किसी भी तरह की भेंट (नजर) आदि लेने के हकदार नहीं है। इनका केस या मुकदमा या दावा यह था कि खादिम सिवाय दरगाह व गुम्बद के नौकर के सिवाय कुछ नहीं

है और इनकी खिदमात (सेवाएं) इन चेकीदारों के बराबर है।

इस संबंध में एक और ऐतिहासिक पुस्तक यादगार-ए-मुराद अली जो १८६८ में लिखी गई थी और उसके लेखक मौलवी मोहम्मद मुराद अली है। जो अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या १०६ पर यूंही लिखते हैं अजमेर शहर में ख़्वाजा साहब की दरगाह है और तीन ही कोस के फासले पर हिन्दुओं का बडा तीर्थ पुष्कर है। इसलिए दोनों फिरकों के फकीर और मंगते इस शहर में कसरत से आ गये है कि शायद आबादी से कुछ ज्यादा होंगे। हमारी आंखों के सामने रेल के इजरा से पहले फकत खददामे दरगाह और पुष्कर के पण्डों और चन्इद मर्दाशों फकीरों और साधुओं के सिवाय और कोई मंगता इस शहर में नहीं था।

इस तराह खादिमों के लिये मंगता लब्ज इस्तेमाल में लाया गया है कि ये मांगने का धंधा किया करते थे और आज भी यह तथाकथित खादिम लोग वो ही अपना पुराना (वंशानुगत) परंपरागत मांगने का धंधा अपनाये हुये हैं।

भीख मांगने या मांगने (गदा गिरी करने) के सिलसिले में १९२६ ई. में जो कुद इन तथाकथित खादिमों के संबंध में लिखा था वह निम्न प्रकार है :-

पुस्तैनी भीक मंगो और गदा गरों की सदा
पेशाह वर गदा गरों और पुश्तैनी भीख मांगों की सदा

भेज दे ख़्वाजा कोई चंदा — गांठ का पूरा आंख का अंधा
जिस से चले इस साल का धंधा — काम पडा है अब के मंदा
हाशती आए देग पकाए — ताकि बहारुम हिस्सा पाऐं
चांवल घी और कन्द उड़ायें — अपने शिकन की खैर मनायें
ख़्वाजा मेरी चम्बल भर दे — दाता मेरी चम्बल भर दे
आमाल बुरे अफआल बुरे — बदनाम कुनिन्दें ख़्वाजा के

दिन रात वजीफा है इनका आसमी भेज कोई ख़्वाजा
आंखों का जो अंधा हो तो भला हो पर गांत गिराह का हो पूरा।

आमाल बुरे अफआल बुरे — बदनाम कुनिन्दे ख़्वाजा के

गिरते हैं मुसाफिर पे ऐसे मुरदार पे गिद जिस तरह गिरे।
लुट खुस के न वो किस तरह कहे लाखों पाए मगर जान बचे।

आमाल बुरे अफआल बुरे — बदनाम कुनिन्दे ख़्वाजा के

स्टेशन से दरगाह तलक करते हैं मुसाफिर से झक- झक
रखवालेते हैं लत्ते तक रह जाता है वह गरीब भौंचक

आमाल बुरे अफआल बुरे — बदनाम कुनिन्दे ख़्वाजा के

स्टेशन पर घटा घर घर दरगाहे मोहल्ला के दर पर
दरगाह मोहल्ला से बाहर दरगाह मोहल्ले के अन्दर

आमाल बुरे अफआल बुरे — बदनाम कुनिन्दा ख़्वाजा के

मसरुफ है बदआमाली में मशगूल है मुगल्लस गाली में
गुस्ताख है बाब आली में देखे तस्वीर खाली में

टामाल बुरे अफआल बुरे — बदनाम कुनिन्दा ख़्वाजा के

यह पैसा हम को देंगे,खाएंगे जिसे जोरु बच्चे
ख़्वाजा ये कहे जो कुछ तुमसे दो इनको जो अपना पेट पले।

आमाल बुरे अफआल बुरे — बदनाम कुनिन्दा ख़्वाजा के

या ख़्वाजा इनकी उम्र हो बड़ी , बेटों से इनकी गोद हो भरी
दौलत में तरक्की हो इनकी, हों इनकी मुरादें सभी पुरी
आमल बुरे अफआल बुरे बदनाम कुनिन्दे ख़्वाजा के
होंगे खुददाम बड़े बुड़े पर अब तो यह साहब जादे
औलादे मोईनुद्दीन बने, खादिम से ख़्वाजा बन बैठे।
आमाल बुरे अफआल बुरे बदनाम कुनिन्दा ख़्वाजा के
हर शहर में है फेरा इनका, चार तरफ है ठेका इनका।
घर घर है बंधा टुकआ इनका खैरात हो या सदका इनका।
आमाल बुरे अफ़आल बुरे बदनाम कुनिन्दा ख़्वाजा के
इज्जत के लिये हैं डाकू, हुरमद के लिये हैं यह डाकू।
अस्मत के लिये हैं ये डाकू, इफफत के लिये हैं ये डाकू।
आमाल बुरे अफआल बुरे बदनाम कुनिन्दा ख़्वाजा के

लिया गया मदबुआ मे मेहबूबुल मुताबे बरकी प्रेस देहली जून १६२८ ई १! उपरोक्त वर्णित कविता देहली की प्रेस से (मेहबूबुमुबाबे बरकी प्रो. देहली) से जून १६२८ ई. छपी है और उपरोक्त लाखभील वाले मुकदमा न. ७०/१६२८ ई. में एक्जिबीट (प्रदर्शन) नं. दि./६६ की शक्ज में बोर्ड की पत्रावली में दर्ज होना पाया जाता है।

तथाकथित खादिमों के कारनामें:-

इन तथाकथित खादिमों के कारनामों की जानकारी के सबंध में हमें आज से २००-३०० और ४०० वर्षो के इतिहास पर दृष्टि डालनी होगी और ऐतिहासिक पुस्तकों अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकों पर और तमाम अदालतों के निर्णय जात के आधार पर अवलोकन करने के पश्चात इन तथाकथित खादिमों के कारनामों पर ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से ज्ञात होगा कि जो कारनामे यह तथाकथित खादिम अपनी रोजाना की जिन्दगी में (दिनचर्या की जिन्दगी) में अन्जाम देते रहे हैं वे निम्न लिखित है :-

इन तथाकथित खादिमों के विशेष कारनामों में एक कारनामा यह भी है कि दरगाह को आने वाले यात्रीगणों (जायरीनों) श्रद्धालुओं दर्शनार्थियों आदि को रेल्वे स्टेशन पर बोली लगाकर बेचना खरीदना इस खरीदोफरोक्त के कार्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा सन १६४६ ई. में बैठाये गये आयोग की रिपोर्ट जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दरगाह ख्वाजा साहब इनक्वारी कमेटी रिपोर्ट नाम से पेश की गयी और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा १६५० ई. में प्रकाशित की गयी की रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या ५६, ५७, ५८ पर इन तथाकथित खादिमों के कार्यो को उजागर किया गया है। खरीदफरोक्त की प्रमाणीकरण एवं पुष्टि करते हुये यह बयान किया गयाहे कि एस सून एस पिलगिर्मस गेट डाउन एट दि रेल्वे स्टेशन अजमेर ही इज मेड बाई ए होर्ड आफ खादिमस टू एव्हाईडस कनफिलिट अमगज दि खादिमस इन्टर सी दी मेन अज पुट टू सेल एण्ड हू एवर मेक्स दी हाइयेस्ट बीड बीकम्स हिज वकील दि सेल प्रोसीडस आद डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगज दि खादिमस दि खादिमस हू बिकेन दि वकील इस एंगशस टू मेक एज मच एज प्रोफिटेड एज ही केन आउट आफ दि टानजक्शन एण्ड टाइज टू एक्सीड बाई आल मिन्स फेयर एण्ड फाउल दि लास्ट पीस आउट आफ हिस विकटिम हेव बीन नान वहर आन ए विजीटर फेलिंग टू पे दि एमाउन्ट डिमांडेड आफ हिम बिलांगस हैव बीन ओशन्ड और लोन्स हेज बीन एडवान्सड टू हिम बाई दि गाईड (वकील) टू बी रिपेड आन हिज रिटर्न होम।

हिन्दी अनुवाद

जैसे ही यात्री रेल्वे स्टेशन पर उतरता है उसे खादिमों की एक भीड रोक लेती है

खादिमों में णगडा टालने के लिये आदमियों (जायरीन) की बोली अगाते हैं और जो सबसे ज्यादा उस यात्री की बोली देता है वह उसका वकील (खादिम) बन जाता है। और बोली की रकम खादिमों के बीच बाट दी जाती है। और वह खादिम जो पकील बनता है वह परेशान रहता है ।कि जितना ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके उस सौदे में से और अपनी कोशिशों की वजह से जायज और नाजायज तरीका अपना कर आखरी पैसा तक उस यात्री की जेब से झाड लेते हैं इस प्रकार की घटना सामने आयी है अजमेर शरीफ पहुंचने पर कोई यात्री उन खादिमों की मांग के अनुसार रकम देने में असमर्थ और नाकाम रहता है तो उसके पास जो कुद भी होता है उसे नीलाम कर के या बेचकर अपना मांग किया पैसा प्राप्त कर लिया जाता है। या उसको उधार के रुप में इस आधार पर दे दिया जाता है कि वह उसे घर पहुंचकर लौटा देगा।

इन चौकीदार तथाकथित खादिमों के विशेष कारनामों में एक कारनामा यह भी है कि जो आवल्यक रुप से देखने योग्य है कि गुम्बद शरीफ बेगमी दालान और वहां की मुएबुल प्रापर्टी (चल सम्पत्ति) की चौकीदारी करना इस कारनामों की पुष्टि भी केन्द्रीय सरकार की ओर बैठाये गये जोच आयोग द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच रिपोर्ट जो सन १९५० ई. में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित की गयी है के पृष्ठ संख्या - ६६ पर लिखते हैं -दि फक्शन आफ दिस चौकीज इज टू कीप ए वाच आन दि बेगमी दालान एण्ड आल देयर मुऐबुल प्रापर्टी इट कन्सीटेन्स आफ सेवन बाडीज आफ चौकीदार्स हू डेली कीप वाच फोम थ्री ओ क्लाक अनदि आफ्टर नून टिल थ्री पी. एम. नेक्सट डे। दि चौकी चेंज एवरी २४ फोर औवर्स दिज सेवन बाडीज आफ चौकीदार्स आर प्रोवाईडेड आई दि सेवन फेमिलिस आफ डिफरेन्ट सेक्शन आफ दि खादिम कम्यूनिटी फाईव एण्ड हाफ डेजु नीव वीक आर उलोटेड टू दि चौकी कनसीस्टिंग आफ सैयद जादा खादिमस एण्ड दि रिमेनिंग वन एण्ड दि रिमेनिंग वन एण्ड हाफ डेज टू दि शेखजादा खादिमस
हिन्दी में अनुवाद

इन चौकियों का काम बेगमी दालान में जो गुम्बद है उसकी और वहां पर मौजूद तमाम माल व असबाब जो इणर उणर ले जाया जा सकता है , की हिफाजत निगरानी व चौकीदारी में रखा है। इनमें साथ चौकीदार हैं जो आधी रात में ३ बजे से अगली दोपहर दो बजे तक चौकीदारी की खिदमत अन्जाम देते है। यह चौकी हर २४ घंटे में बारी बारी से बदलती है ।इन चौकीदारी के सात खानदान (परिवारजन) जो खादिमों के अलग अलग गिरोहों पर गठित है हफ्ते में (सप्ताह) में साढे पांच दिन उन चौकीयों के चौकीदाराकेंका काम सैयद जादे खादिमस के सुपूर्द किया जाता है। बाकी बचे देढ दिन शेख जादा खादिमों के चौकीदारों के हिस्से में रहते हैं। तथकथित खादिमों , चौकीदारों के कारनामों के संबंध में मौलवी मोहम्मद मुराद अली साहब अपनी ऐतिहासिक पुस्तक ''यादगारे-मुराद-अली में इन चौकीदारों पर प्रकाश डालते हुये अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या ७५ पर हिकायत नं. १७ में इस प्रकार वर्णन करते हैं कि :-

महाराजा टुक्काराजजी होल्कर अजमेर में आये और अपने आबाओं अजदाद के कदम अकदम सादा तौर पर दरगाह जियारत को गये। खादिमों ने हुजूम किया और ऐसे लडे कि महाराजा को अपना कठागले का और जान बचाना मुश्किल हुआ। बडी मुश्कीलों से बगैर किये जियारत वापस क्याम गाह पर आये और कमीशनर साहब से खादिमों की शिकायत की एक हब्बह किसी को नहीं दिया और चल दिये। अकब से खादिमों पर मुकदमा बलवा कायम हुआ। सात खादिमों ने सजा पायी कोई कैद हुआ किसी ने जुरमाना दिया।

इन तथाकथित खादिमों चौकीदारों के अप्रिय कारनामों के संबंध में कर्नल

डिस्क कमीशन अजमेर मेरवाडा अपने आदेश दिनांक ०१ सितम्बर १६५५ ई. में खादिमों के संबंध में लिखते हैं की खादिमों का शायद ही ऐसा कोई कार्य होता था जिसकी शिकायत मुण तक
(कमीशनर) न पहुची हो अर्थात तमाम कारनामे सरजद (घटित) होते थे जिसकी शिकायत कर्नल साहब तक जाती थी।

इन्ही कर्नल साहब ने इन तथाकथित खादिमो चौकीदारों के संबंध में अपने आदेश दिनोक ०१ अगस्त सन १८५६ ई. में आदेश दिया कि खादिम को चाहिये कि वह ऐसा कोई काम या कारनामा अंजाम न दे जिनकी शिकायत मुण तक पहुंचे इसी निर्णय में कर्नल डिक्सन साहब ने इन तथाकथित खादिमों चौकीदारों को अपने उक्त आदेश में मुफ्तखोर जैसे शब्द का प्रयोग कर के संबोधित किया है।

इसी समबंध में दरगाह ख्वाजा साहब इनक्वारी कमेटी रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या ६ से ११ तक की रोशनी में तमाम खादिमों का कच्चा चिठ्ठा सामने आजाता है खास तातौर से मोहम्मद युसूफ जो अपने नाम के साथ महाराजा शब्द का प्रयोग करते हैं और जो सन १६६५ ई. में भारत पाक की जंग अवसर पर डी. आइ. आर. में भी गिरफ्तारकिये जा चुके हैं और अपने इन बिरादरी (चौकीदार खादिमों की अंजुमन के णगडे में चौकीदारों की बिरादरी सकेबाहर किये जा चुके हैं। और इनका वे इनके परिवार जन चौकीदार बिरादरी में हुक्का पानी बंद किया जा चुका है। इनके सबंध में चौकीदारों को ही बिरादरी के एक तथाकथित चौकीदार कांग्रेसी छुटभैये नेता कहते हैं के जनाब के (महाराज) आज भी वोही दम वोही खम अरे शर्म चुकत्ती के मर्द पेशा बे आयद।

इन तथाकथित खादिमों चौकीदारों के कारनामों को लेकर मुगल बादशाह अकबर भी कितना चिन्तीत परेशान रहता था कि उसे अभी तख्त पर बैठे हुये मात्र १४ वर्ष ही गुजरे थे कि १४वे वर्ष में उसे दरबारी का दरगाह ख्वाजा साहब के मजार का कब्जा लेने का हुक्म (आदेश) पारित करना पड़ा। क्योंकी यह चौकीदार खादिम चढावे को लेकर उस समय भी लडते णगडते थे। बाद में इन चौकीदार खादिमों ने अकबर की कोर्ट (न्यायलय) फतेहपुरसीकरी में जाकर माफी नामा लिखकर दिया कि अब हम किसी भी प्रकार का चढावे को लेकर णगडा नहीं करेंगे। इस पर शहनशाहे अकबर ने इन तथाकथित खादिमों के मुचलके लिये। यह दोनो दस्तावेजात अब्दुल मानी की सम्पादित पुस्तक ''सनादुस्सानादीद'' के पृष्ठ १४,१५,१६और १७ पर प्रकाशित है। इस पुस्तक में दूसरे और भी फरमान मौजुद हैं। इन फरमानों में शहन्शाह अकबर का फरमान नं. २ जो पृष्ठ संख्या ६ व ७ के बीच दपा हुआ है और उस पर ऐक्जीबीट पी-१ पड़ा हुआ है जहांगीर का फरमान जो पृष्ठ संख्या ३०,५१,६८,६६,और १४५ के बीच में दपा हुआ है शाहजहां के काल की एक सनद जो पृष्ठ संख्या १७८ से १७६ के बीच में दपी हुई है इस पर एक्जीबीट पी-१६ लिखा हुआ है। औरंगजेब आलमगीर का फरमान जो पृष्ठ संख्या २४६ पर छपा है यह तमाम फरमान लाखाभील वाले एतिहासीक मुकदमा नं. ७०/१६२८ में सरफराज अली पुत्र युसूफ अली बनाम मोहिउद्दीन उर्फ प्यारे मियां वाली अदालती पत्रावली पर मौजूद है। और इनपर एक्जीबीट लगा हुआ है। से भी उपरोक्त लाखाभील की औलाद होने की पूष्टि होती है जो अपने आप में एक हकीकत है ।

अंग्रेजी ऐतिहास कार जेरर्थ ने अबुल फजील अल्मी जो अकबर बादशाह का प्रधान मंत्री भी था। कि ऐतिहासिक किताब आइने अकबरी का अंग्रेजी में रुपान्तरण किया है और अपनी इस पुस्तक अर्थात रुपान्तरित पुस्तक के पृष्ठ संख्या - ३६६ में इस प्रकार लिखते हैं :- इन दि फोर्टीन्थ इयर अकबर गेव हिम ए रुल इन अजमेर एण्ड आर्डर्ड हिम टू चार्ज आफ शेख मोइनुद्दीन चिश्तीज टोम्ब एज दि खादिमस वर जनरली फ्युड अबाउट दि

एमेल्यूमेन्ट्रस एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेज प्रेजेन्टेड बाइ पिलगिमस नोर हेड दी एफे सेन्सी ऑफ देयर प्रेयर्स बीन पुव्ड दो दे कलेम्ड टू पजेस सफीसियेन्ट इन फलुवेन्स विथ गोर्ड टू प्रोथिस ऑफ स्विंग टू बेरेन एण्ड चाईल्ड लेस

अकबर ने अपने तख्त पर बैठने के १४ वें वर्ष में त्यूल (मुतवल्ली शीप) दि और आदेश दिया कि वह शेख मोईनुद्दीन चिश्ती के आस्तानाआलिया(दरगाह शरीफ) का चार्ज लेलें चूंकी खादिमा जायरीनों (दर्शनार्थियों) के द्वारा चढाई गई मन्नत या चढावा आदि को लेकर हमेशा झगढते रहते हैं। न ही उनकी दुआओं में कोई असर था। लेकिन फिर भी वह (खादिम) दावा करते थे कि उनका अल्लाह तआला से सीधा ताअलुक है उनकी दुवाओं से बांझ औरतें बच्चे पाती थीं।

इन तथाकथित खादिमों चौकीदारों के सबंध में लेफ्टीनेट कर्नल सी.जे. हिक्सन कमिशनर अजमेर मेवाडा अपने ऐतिहासिक पुस्तक '' इस्केच आफ अजमेर'' मेरवाडा जो सन १८५० ई. १ लंदन से प्रकाशित हुई कि पृष्ठ संख्या २८ पर इन चौकीदार दरगाह के तथाकथित खादिमों के सबंध में इस प्रकार उल्लेख करते हैं कि-

दि इन हेब्टिन्ट आफ अजमेर मेडवाडा आर नोमिनली सेरपरेटेड इन टू रिलिजन डिवीजन हिन्दु एण्ड मुसलिमस दि मेरा आर इस्टिंग म्यूज्ड एज बिलोगिंग टू ई मोमडन परसूएशन येट विथ एक्शन आफ बेनींग सरकमसेड एण्ड बेरिंग देयर डेड आल देयर कस्टम्स कनफमर्ड टू दोज इन यूज विथ दि मेयर्स दे नाउ न्यू देयर डोटर्स इन मेरेज टूबी मेयर्स उण्ड टेक देयर इन रिटर्नस विथ इन दि लास्ट टू इयर्स डोटर्स विथ मुसलयान्स परसन्ली विथ दि खादिम आफ दि अजमेर दरगाह एण्ड ओकजन्सली विथ दि फैमिली आफ मोमेडन्स आफ डिस्टिंगशन सेटिल हेबिटस आफ इन्डस्ट्री हेव नेचुरली लीड टो एण्ड इनक्रेज आफ पोजीश एण्ड एज फन्टीसाईज हेव बिन सूप्रज्ड एण्ड दि कन्डीशन आफ दि खादिमस वोज फार इन्फीरियर टू देट आफ दि मेयर्स एण्ड दि मेराठस लीविंग अन्डर्स अवर प्रोडेक्शनन दे हेव वाईजजली रिलींग क्यूज्ड एकस्टम विज प्रजेन्टस टू एडवान्टेज और रिकमन्डेन्ट सिव दैट आफ लाग यूजेज दि कामन से त्यूटेशन अमगज दि सेक्शन आफ दि फ्यूपुलस इन'' राम राम '' एण्ड दे इट विथ दी मेयर्स एज आफ वन कास्ट

हिन्दी अनुवाद

मेरवाडा के निवासी गण को दो धार्मिक हिस्सों में बाटा जा सकता है। हिन्दु और मुसलमान मेरात मुसलमान है जो अपने मुर्दो को गाडते (दफनाते) उनका रस्मो रिवाज भी मेयर्स का है। चह अपनी पुत्रीयों (लड़कियों) का भी मेयर्स में शादी विवाह करते हैं। और उनकी पत्नियां भी बदले में ब्याह लाते हैं। जब कि पिदले दो वर्षो में जो आपसी रिश्ते हुये हैं पहले में औरत अपनी लड़कियां मात्र मुसलमानों में ही ब्याहते थे विशेष रुप से अजमेर की दरगाह के खादिमों को कभी कभार दूसरे मुसलमानों को भी देते थे। उनकी इस आदत की बिना पर आबादी में बढोतरी हेई। मेयर्स और मेरात के मुकाबले में खादिमों की हालत बहुत ही निम्न स्तर की थी। जो लाभकारी नहीं थी। इस गिरोह के लोगों के बीच में विशेष दुआ सलाम का रिवाज (परम्परा)राम राम था और यह मेयर्स और मेरात से संबंधित थे। दरगाह के इन तथाकथित खादिमों चौकीदारों पर अंकुश रखने के लिये और इस विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ के दरगाह के इन्तजाम का बेहतरी के लिये और यात्रियों की सुविधा के लिये दरगाह ख़्वाजा साहेब एनक्कारी कमेटी रिपोर्ट में इन तथाकथित चौकीदारों खादिमों पर पाबंदी लगाने के लिए इनकी आयू को निर्धारित कर चौकीदार की विशेष पोशाक जिसे इन खादिमों का पहन्ना आवश्यक है एवं

एवं इन तथाकथित खादिम चौकीदारों को दरगाह शरीफ में अपनी डयूटी (सेवाएं) से पूर्व एक टेस्ट पास करना भी आवश्यक होगा। अतः केन्द्र सरकार द्वारा बेठाये गये आयोग की रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या १०२ पर इस सबंध में इस प्रकार वर्णित है- दि खादिम्स हू डिजायर टो एक्ट एज वकील्स फोर एक्सेटिंग विजिटर्स टू डोम एण्ड अदर प्लेसेज इन दि दरगाह शेल बी रिक्वायर्ड टू अण्डर गो एण्ड एलेमेन्ट्री टेस्ट दन इस्लामिक टिचिंग्ज एकोडिग टू ए सिलेबस प्रेसक्राईब्ड बाई दि हाई पावर कमेटी इन कन्सलटेशन विथ दि एडवाईजरिंग कमेटी दि खादिम्स हू पास्ट दि टेस्ट शल गैट ऐ सनद एण्ड ऑफिस गाउन (चौगह) ऐज औथराईज्ड खादिम्स एण्ड टाईटिल टू एज वकील्स। दि टेस्ट शेल बी कन्डक्टेड बाई दि एक्ट री डिटेड ओरगनाईजेशन्स ऑफ दि खादिम्स हू शल ग्रान्ट बी सनद एण्ड चोगह टू दिस कसजेजफूल दि सनद शेल बी ग्रान्टेड आन प्रूफ देट ही हेस एक्वायर्ड जनरल रिलीजर्स एजुकेशन एयड नालेज एण्ड इज ए फिंट एण्ड प्रोपरपरेसन टू एक्ट एज वकील। ही शेल नोट बी लेस देन ४० ईयर्स ऑफ ऐज। दि हाई पावर कमेटी शल डिटरमाईण्ड दि नॅबर ऑफफ पर्सन्स रिक्वायर्ड फोर एक्टींग एज वकील्स ए लिस्ट आफ सब वकील शेल बी सप्लाई टू दि मैनेजर बाई दि एक्ट री डिटेड खादिम आरगवाजेशन्स एनि एक्ट आफ मिस कन्डेक्ट सच समरी एन्क्वारी इज हि मे थिंग फिट इम्पोज ए सेन्टेस आफ फाईन नोट एक्सीडिंग रुपीज २००/ और इम्पीवमेन्ट फोर ए पीरियड आफ वन मन्थ इन डिफोल्ट पेमेन्ट आफ फाईन । दि आर्डर पास्ट बाई दि मैनेजर शेल नोट बी ओपन टू अपील फोर रिवीजन। ही मे आलसो डिकोलिफाइडी ओफेन्डर फाम एक्टींग ऐस ए वकील इन फ्यूचर।

वह तमाम खादिम्स जो चाहते हैं कि वकील बनकर आने वाले यात्रीयों के साथ चलें गुम्बद शरीफ और दुसरी जगाहों पर जो दरगाह शरीफ में स्थित है ऐसे सभी खादिमों के लिये एक आरंभिक परिक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यह परिक्षा इस्लामिक तालिम से समबंधित है। जिसके लिये एक निश्चित पाठयक्रम है। यह पाठयक्रम सलाहकार कमेटी की सलाह से केन्द्रीय कमेटी ने बनाया है। वह खादिम जो इस परिक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें सनद दी जाती है। और कार्यालय की ओर से एक विशेष चोगा दिया जाता है।जो इस बात का प्रमाण है कि यह खादिम वकील का कार्य करने में सक्षम है। यह परिक्षा उस विशेष अंजुमन के तहत दिया जाता है । जो सनद और शिशेष चोगा अदा कर्ता और प्रमाणित करता है। सनद और विशेष चोगा उन्ही लोगों को दिया जाता है जो उक्त परिक्षा में उत्तीर्ण होंगे सन्द उससमय प्रदान की जाती है कि जब यह प्रमाणित हो जाये की फलां फलां खादिम धार्मिक तालिमात के समबंध में पूर्ण जानकारी रखता है और वकील (खादिम) बन्ने के योग्य है साथ ही उसकी आयु ४० से कम नहीं होनी चाहिये केन्द्रीय कमेटी यह तय करेगी की कितने खादिम चौकीदारी के खिदमत के लिये नियुक्त किये जाएं। ऐसे वकीलों (खादिम) की सूची मैनेजर को खादिमों को नामांकित संस्था की ओर से दी जायेगी जो खादिम अपनी चौकीदारी कि सेवा अंजाम देने में किसी प्रकार की अनियमित्ता बरत्ते पाये गये तो मैनेजर (नाजिम) उसकी इत्तेला मिलने पर उसके विरुध तुरंत कार्यवाही करेंगे और यह देखेंगे की वाकई खादिम दोशी है तो ऐसी सूरत में मुबलिग २००रु. तक का जुर्माना उस खादिम को करसकता है। या २००रु. जुर्माना की अदायगी नहीं करने की सूरत में एक माह की कैद की सजा भी देसकता है। नाजिम के जरिये दिये गये आदेश को दोबारा नगिरानी के लिये रखा जा सकता है। न ही उसे दोबारा दोहराया जा सकता है। यदि नाजिम चाहे तो दोशी खादिम को भविष्य में खादिमगिरी चौकीदारी की सेवाओं में वंचित कर सकता है।

यह की सन १९५५ ई. में दरगाह ख़्वाजा साहब एक्ट नं. ३६ सन १९५५ इ. में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दरगाह के बहतर रखरखाव के लिये बनाया गया है।

एवं इन तथाकथित खादिम चौकीदारों को दरगाह शरीफ में अपनी ड्यूटी (सेवाएं) से पूर्व एक टेस्ट पास करना भी आवश्यक होगा। अतः केन्द्र सरकार द्वारा बेठाये गये आयोग की रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या १०२ पर इस सबंध में इस प्रकार वर्णित है- दि खादिम्स हू डिजायर टो एक्ट एज वकील्स फोर एक्सेटिग विजिटर्स टू डोम एण्ड अदर प्लेसेज इन दि दरगाह शेल बी रिक्वायर्ड टू अण्डर गो एण्ड एलेमेन्ट्री टेस्ट दन इस्लामिक टिचिंग्ज एकोडिग टू ए सिलेबस प्रेसक्राईब्ड बाई दि हाई पावर कमेटी इन कन्सलटेशन विथ दि एडवाईजरिंग कमेटी दि खादिम्स हू पास्ट दि टेस्ट शल गैट ऐ सनद एण्ड ऑफिस गाउन (चौगह) ऐज औथराईज्ड खादिम्स एण्ड टाईटिल टू एज वकील्स। दि टेस्ट शेल बी कन्डक्टेड बाई दि एक्ट री डिटेड ओरगनाईजेशन्स ऑफ दि खादिम्स हू शल ग्रान्ट बी सनद एण्ड चोगह टू दिस कसजेजफूल दि सनद शेल बी ग्रान्टेड आन पूफ देट ही हेस एक्वायर्ड जनरल रिलीजर्स एजुकेशन एयड नालेज एण्ड इज ए फिंट एण्ड प्रोपरपरेसन टू एक्ट एज वकील। ही शेल नोट बी लेस देन ४० ईयर्स ऑफ ऐज। दि हाई पावर कमेटी शल डिटरमाईण्ड दि नॅबर ऑफफ पर्सन्स रिक्वायर्ड फोर एक्टींग एज वकील्स ए लिस्ट आफ सब वकील शेल बी सप्लाई टू दि मैनेजर बाई दि एक्ट री डिटेड खादिम आरगवाजेशन्स एनि एक्ट आफ मिस कन्डेक्ट सच समरी एन्क्वारी इज हि मे थिंग फिट इम्पोज ए सेन्टेस आफ फाईन नोट एक्सीडिंग रुपीज २००/ और इम्पीवमेन्ट फोर ए पीरियड आफ वन मन्थ इन डिफोल्ट पेमेन्ट आफ फाईन । दि आर्डर पास्ट बाई दि मैनेजर शेल नोट बी ओपन टू अपील फोर रिवीजन। ही मे आलसो डिकोलिफाइडी ओफेन्डर फाम एक्टींग ऐस ए वकील इन प्यूचर।

वह तमाम खादिम्स जो चाहते हैं कि वकील बनकर आने वाले यात्रीयों के साथ चलें गुम्बद शरीफ और दुसरी जगाहों पर जो दरगाह शरीफ में स्थित है ऐसे सभी खादिमों के लिये एक आरंभिक परिक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यह परिक्षा इस्लामिक तालिम से समबंधित है। जिसके लिये एक निश्चित पाठ्यक्रम है। यह पाठयक्रम सलाहकार कमेटी की सलाह से केन्द्रीय कमेटी ने बनाया है। वह खादिम जो इस परिक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें सनद दी जाती है। और कार्यालय की ओर से एक विशेष चोगा दिया जाता है।जो इस बात का प्रमाण है कि यह खादिम वकील का कार्य करने में सक्षम है। यह परिक्षा उस विशेष अंजुमन के तहत दिया जाता है । जो सनद और शिषेश चोगा अदा कर्ता और प्रमाणित करता है। सनद और विशेष चोगा उन्ही लोगों को दिया जाता है जो उक्त परिक्षा में उत्तीर्ण होंगे सन्द उससमय प्रदान की जाती है कि जब यह प्रमाणित हो जाये की फलां फलां खादिम धार्मिक तालिमात के समबंध में पूर्ण जानकारी रखता है और वकील (खादिम) बन्ने के योग्य है साथ ही उसकी आयु ४० से कम नहीं होनी चाहिये केन्द्रीय कमेटी यह तय करेगी की कितने खादिम चौकीदारी के खिदमत के लिये नियुक्त किये जाएं। ऐसे वकीलों (खादिम) की सूची मैनेजर को खादिमों को नामांकित संस्था की ओर से दी जायेगी जो खादिम अपनी चौकीदारी कि सेवा अंजाम देने में किसी प्रकार की अनियमित्ता बरत्ते पाये गये तो मैनेजर (नाजिम) उसकी इत्तेला मिलने पर उसके विरुध तुरंत कार्यवाही करेंगे और यह देखेंगे की वाकई खादिम दोशी है तो ऐसी सूरत में मुबलिग २००रु. तक का जुर्माना उस खादिम को करसकता है। या २००रु. जुर्माना की अदायगी नहीं करने की सूरत में एक माह की कैद की सजा भी देसकता है। नाजिम के जरिये दिये गये आदेश को दोबारा नगिरानी के लिये रखा जा सकता है। न ही उसे दोबारा दोहराया जा सकता है। यदि नाजिम चाहे तो दोशी खादिम को भविष्य में खादिमगिरी चौकीदारी की सेवाओं में वंचित कर सकता है।

यह की सन १९५५ ई. में दरगाह ख़्वाजा साहब एक्ट नं . ३६ सन १९५५ इ. में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दरगाह के बहतर रखरखाव के लिये बनाया गया है।

(बी) दे शेल नोअ हेरेस्ट ऐनि विजिटल और प्लीग्रिम दि दरगाह।
(स) दे शेल नाईदर सोलिसिट नोर रिवीवड ऐनी नजर और आफरिस फोम ऐनिप रसन ऑन बिहाफ आफ दि दरगाह और इन्दीनेम आफ ख़्वाजा साहब
(द) दे शेल अबाईड बाई सच रुल्स आफ कन्डेक्ट इन दि दरगाह इजदि कमेटी मे
हिन्दी अनुवाद

(अ) खादिम अपने तमाम कर्तव्य हमेशा अंजाम देते रहेंगे जैसा परंपरागत तौर पर अंजाम देते रहे हैं।

(बी) वह किसी भी दरगाह में आने वाले यात्री को दरगाह में जाते समय परेशान नहीं करेंगे

(स) और वह न तो दरगाह की ओर से ख़्वाजा साहब के नाम पर किसी यात्री से नजर मांगें और न कोई नजर वसूल करेंगे।

(द) व उन नियमों और कानूनों के पाबंद रहेंगे जो कमेटी के दरगाह शरीफ के अन्दरुनी इन्तेजामात के लिये बनाये गये हैं ।

(धारा १७ इस प्रकार है)

पेनेलटी ऑन खादिम्स कन्टीन्यूईंग प्रोव्हीजन्स ओर दि एक्ट आफ दिस बायलाज नाजिम में बाई अन्डर इन राटईटिग प्रोविट ऐनि खादिम फाम एन्टरीग दि दरगाह और सच पिरियेड नाट उक्सीडिंग सेवन डेज एज दि नाजिम थिमस प्रिन्ट इनउ सब खादिमस और इन्क्वारी हेल्ड बाई दि नाजिम इज फाउण्ड यिलटी आफ वायोलेशन आफ ऐनी प्रोव्हीजन्स आफ दि एक ब और दिज बायलाज ओर अफ एनी रुल्स आफ कन्डेक्अ इन दि दरगाह प्रेसक्रोइब्ड आई ए कमेटीफोम टाईम टू टाईम।
हिन्दी अनुवाद
नाजिम लिखित आदेश के द्वारा किसी भी खादिम को लग भग ७ दिवस के लिये दरगाह शरीफ में दाखिल होने से रोक सकता है। यदि वह उचित समझेगा तो वह उस खादिम से जानकारी प्राप्त करेगा। और यदि वह खादिम इस दरगाह एक्ट या बाईलाज या कमेटी के समय समय पर बनाए गये नियमों के विरुध कार्य करने का दोशी पाया जाएगा तो उस समय तक नाजिम कोई आदेश नहीं देगा। जब तक उस खादिम को अपनी सफाई पेश करने का एक अवसर प्रदान न किया गया हो। इसी प्रकार उक्त दरगाह ख़्वाजा साहब एक्ट नं. ३६ सन १९५५ ई. की धारा १४ द्वारा दरगाह नाजिम और दरगाह नाजिम नियुक्त व्यक्ति के द्वारा ही श्रद्धालुओं द्वारा यात्रीयों को पेश की जाने वाली अथवा भेट की जाने वाली तमाम नजर व चढावों को वसूल करने का अधिकार होगा इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी पेकार का कोई चढावा अथवा नजर प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

उक्त एक्ट की धारा १४ इस प्रकार ह – पावर टू सोलिसिट और रिसीव आफरिग्स आन बिहाफ आफ दि दरगाह

१४(ए) इट शेल बि लाफुल और दि नाजिम और एनि पर्सन आथेराईट आई हित इनदिस बिहाफ टू सोलेस्टि एण्ड रिसीव आन बिहाफ आफ दि दरगाह ऐनि नजर्स और फ्राम एनि पर्सन एण्ड नोट विथ स्टेडिंग ऐनी थिंग कन्अेन्ड इन ऐनि रुल आफ ला और डिसीजन आफ दि कोन्ट्रेरी नो परसन अदर देन दिना जिम और ऐनि पर्सन आथोराईज्ड आई हिम इन दिस बिहाफ टू रिसीव और बी एन्नाटाव्ईटिल्स टू सिरीव नजर्स ओर आफरिग्स ओन बिहाफ आफ दि दरगाह।

१४(ब) हू अवर सेलिसिटस और आफरिग्स इन कन्टररेशन आफ दि प्रोव्हिजन्स आफ सब सेक्शन (१) शेल बी पनिशेबुल विथ फाईन विव मे इक्सटेन्ड टू

हिन्दी अनुवाद

१४ (ए) कानूनी तौर पर नाजिम के लिये अथवा उसकी ओर से जिस व्यक्ति को दरगाह की ओर से नजरो नियाज व चढावा वसूलकरने या मांगने का अणिकार होगा और उन सब वस्तुओं के लिये किसी दूसरे कानून या निर्णय कि आवश्यकता नहीं है। नाजिम के अतिरिक्त अथवा उस व्यक्ति के अतिरिक्त जिसको दरगाह की ओर से नजर व चढावा बसूल करने की आज्ञा प्रदान की गई है दूसरा कोई व्यक्ति वसूल नहीं करेगा।

१४(ब) जो कोई भी नियमों के जरिये धारा१४ (१) के विरुद नजर मांगेगा प्राप्त करंगा तो उस पर १ हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा।

अतः धन तथाकथित खादिमों चौकीदारों को ऐसी स्थिती में परिचय-पत्र दिया जा सकता है और उन्हें आदेशों की अवमानना करने पर उन्हें चौकीदारों से निलंबीत भी किया जा सकता है और उन्हें आदेशों की अवमानना करने पर उन्हें चौकीदार से निलंबीत भी किया जा सकता है ।इसकी पुष्टि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उर्स की व्यवसीओं के सम्बंध में बुलायी गयी वार्षिक बैठक की रिपोर्ट सन १६८७ - १६८८ और सन १६६६ ई. से भी होती है। परिचय पत्र प्रदान किये जाने के सबंध में जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार कुद बुद्धजीवी की और समणदार तथाकथित खादिमों चौकीदार खादिमों का यह कथन है कि जब हम राजकीय सेवा में नौकरी करते हुये अपने परिचय पत्र हमें वहां भी लगाने पड़ते हैं तो ऐसी सूरत में दरगाह शरीफ में चौकीदार की सेवा अन्जाम देते समय हमें परिचय पत्र लगाने से शरमाना नहीं चाहिये। चूंकी दरगाह शरीफ की चौकीदारी हमारा वंशानुगत और परम्परागत पेशा रहा है।

आज इन तथाकथित खादिमों ने दरगाह मे खुली जगह पर फूलों की दुकान के द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। और दरगाह शरीफ में आने वाले यात्री यों की आमदोरफत के रास्ते आवगमन के रास्ते को इतना तंग कर दिया है कि चलना फिरना दूभर हो गया है ।इसके अतिरिक्त दरगाह के परिसर में बने पक्के मजारात पर जिनमें हिन्दुस्तान पर एक दिन की बादशाहत की थी और जो इतिहास में निजात सदकह के नाम से जाना पहचाना जाता है के मजार को भी नहीं दोडा। उस पर भी एक जनाना खादिम ने अनाधिकृत कब्जा कर अपनी फूलों की दुकान लगा ली है। जिसका परिणाम हुआ कि यात्रियों,श्रद्धरलुओं को १६८७ व १६६१ में सालाना उर्स और मुहर्रम के अवसर पर अपनी जानों की कुर्बानी (आहूति) देनी पडी। यह उन उजागर कारनामों का परिणाम है।

यह तथाकथित चौकीदार खादिम अपनी अंजुमन लाखावालान एवं अंजुमन टेकावालान द्वारा २५ जमा दिउस्सानी-दडियों की २५ तारीख (से १० रजा बुलमुरज्जब) ख़्वाजा साहेब के सालाना उर्स तक यानि १५ दिन और १० दिन पुष्कर के मेले के इस प्रकार से कुल मिलाकर २५ दिन का दोटी व बडी दरगाह में बनी हुयी देगों का ठेका २०,०००,१०१/बीसलाख एक सौ एक रुपया और बाकी दिन अर्थात साल के ३४० दिवस का ठेका १५,००००/ रु. में होता है यह ठेका लाखाभील खादिम और टेकाभील खादिम ही आपस में लेते हैं। इनमें जो भी ठेकेदार होता है उसका छोटी व बडी देग में चढने वाले, डाले जाने वाले तमाम चढावों में सिवाय साल भर के २५ दिन को छोड कर बाकी बचे तीन सौ चालीस दिन का दस प्रतिशत का हिस्सा होता है। अतः ऐसी स्थिति में यात्रियों द्वारा दोनो देगो में जब तक चार से छः करोड रुपयों का सोना, चांदी, चांवल, घी, शक्कर आदि नहीं डाल दिया जाता जब तक ठेकेदार के उपरोक्त पैसे के भरपाई नहीं हो पाती है । यहां यह बात दृष्टिगत रखने योग्य है की दरगाह की इन दोनो देगों में पेश किये जाने वाले तमाम चढावों को लेकर दरगाह कमेटी ने सेशन जज अजमेर के न्यायालय में १६६६ ई. में एक दीवानी दावा दायर कर रखा है ।जिसमें कमेटी ने उपरोक्त तमाम चढावों को अपनी

मिल्कीयत बताते हुए उसे प्राप्त करने का अधिकारी बताया है।इसकी बहस अभी तक तथसकथित खादिमों चौकीदारों के कारण से नहीं हरे पा रही हैऔर इस प्रकार दरगाह कमेटी का सालाना करोडों रुपये का नुकसान उठाना पड रहा है दागाह कमेटी की यात्रियों से श्रद्धालुओं से यह अपील क्है कि यह लाखाभील एवं टेकाभील की औलाद में इन तथाकथित चौकीदार खादिमों को न सिर्फ दरगाह की परिसर व गुम्बद शरीफ में तथा इनके घरों में रहने वाले भी इन तथाकथित खादिमों को किसी प्रकार का नजर व नियाज आदि का पैसा वादर व गिलाफ हरगिज नहीं दें। और अपने आप को हर प्रकार के पाप का भागीदार बनने से बचायें।

एक तरफ तथाकथित खादिम चौकीदार दरगाह के बेगमी दालान में रजिस्टर लेकर बैठे रहते हैं और आने वाले भोले भाले श्रद्धालुओं/जायरीनों /यात्रियों आदि से विधवाओं अनाथ बच्चों, लंगर ,फल, चादर, शिरनी आदि व रौशनी संदल, दरगाह के अन्दर होने वाले दूसरे मरम्मत के कार्यों के नाम पर लोगों से धोखा देकर रकम वसूल करते हैं। इनका दिया हुआ पैसा शराबखोरी, जुंआखोरी, वकील की फीस, पुलिस थाना आदि डॉ. की फीस सटआ खेलने अय्याशीयों करने नशाआवर वस्तुएं आदि खरीदने व बेचने पर खर्च करते हैं। दूसरी ओर हथियारों की खरीद व दरगाह शरीफ के भीतर व चारों ओर के उक्त वर्णित अनैतिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। इन तथाकथित चौकीदार खादिमों की लूट खसोट और उनके पूर्वजों लाखामील व टेकाभील की लूटखसोट में मात्र इतना अंतर बाकी है कि लाखाभील एवं टेकामील की औलाद बिना किसी नकाब के बडी चालाकी से लूट खसोट बचाये हुये हैं। इसकी पुष्टि एवं प्रमाण कर्नल जेम्स टोड की ऐतिहासिक पुस्तक ''टोड राजिस्थान में भी होती है।

दरगाह के इन तथाकथित खादिमों /चौकीदारों के कार्यों में सबसे ज्यादा घृणित और पाप कार्य जो इन तथाकथित खादिमों /चौकीदारों द्वारा किया गया है जिसकी मिसाल कयामत तक कोई दूसरी नहीं मिलेगी तथा जिसके कारण अजमेर की जनता को कर्फ्यू का मुह देखना पडा एवं सामना करना पडा बल्कि तमाम श्रद्धालुओं की श्रद्धा को न सिर्फ दिली ठेस पहुंची अपितु मानसिक आघात भी। क्योंकि इन तथाकथित खादिमों / चौकीदारों के इस घृणित और पापी कार्य को जब दूरदर्शन में ''परख'' कार्यक्रम द्वारा पूरे भारतवर्ष में दिखाया गया एवं भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में एवं मासिक पत्रिकाओं में इस घृणित कार्य को लेकर जो लेख प्रकाशित हुये उनको देखकर पढकर न सिर्फतमाम मुसलमानों का सर शर्म से झुक गया बकि दूसरे धर्मों के लोगों को मानसिक आघात लगा एवं उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंची। तथा इन तथाकथित खादिमों के इस घृणित कार्य से जो कलंक दरगाह पर लगा वह कभी नहीं मिटाया जा सकता। इनका पापी और घृणित कार्य यह है इन्होंने सोचे समणे प्लान एवं षडयंत्र के द्वारा १०० से लेकर १५० स्कूली लडकियों की इज्जत आबरु से खिलवाड किया और उन लडकियों के साथ ब्लेकमेल करके इस प्रकार से बलात्कार किया गया कि बलात्कार करते हुये उनकी फोटो भी ली गयी। और उनकी विडीयो फिल्में बनवाई गई जिसकी कलपना नहीं की जा सकती। यह सब तथाकथित खादिमों द्वारा ही किया गया और कई शरीफ घराने की बहु बेटियों को ना मात्र बर्बाद किया गया बकि उन्हें आत्महत्या करने के लिये विवश भी किया गया।

यह कि तथाकथित खादिम चौकीदार जिन्होने अपने अपने घरों को गेस्टहाउस का रुप दे रखा है और इन तथाकथित खादिमों की दोनो संस्थाओं अन्जुमन लाखा भील वालान व अंजुमन टेकाभील वालान के नाम पर चलने वाले फूल गली त्रिपोलिया गेट हिन्दु मोदी मोहल्ला दरगाह बाजार आदि स्थानों पर बने गेस्ट हाउसों से जो मेहमान अपने परिवार जन के साथ ठहरते हैं उनको कुछ पता नहीं होता कि सुबह उनके साथ क्या होने

वाला है? सुबह जब इन मेहमानों को रात में अपनी पत्नी के साथ ली गई विडियो फिल्म जो गेस्टहाउस के कमरे में एक सुक्षम स्थान पर लगे हुये कैमरे से ली गई व बनायी गयी उसे उस परिवार को दिखाकर ब्लेकमेल किया जाता है जबकि वास्तविक जीवन में वे पति पत्नि होते हैं ।इसके बावजूद भी वह तथाकथित खादिम उनकी बहु बेटियों के साथ जबरदस्ती करने पर उन्हें मजबुर कर देते हैं ऐसे कई हादसे हो चुके है जिनमें देहली के एक परिवार के साथ हुआ हादसा सार्वजनिक रुप ले चुका था देहली के परिवार वालों के द्वारा याकूब अली पुत्र अयूब अली अण्डेवाला खादिम ख़्वाजा साहब को उन परिवार वालों ने जिनकी लडकी के साथ इस याकूब अली द्वारा बलात्कार किया गया था शादी करने पर मजबूर किया और अन्त में उस याकूब अलीको शादी करनी पडी जबकि याकूब अली पहले से ही विवाहित था।

अतः ऐसी सिंिति में आने वाले हर जायरीन, यात्री श्रद्धालु अकीदतमंद को चाहिये कि वह अल्लाह और उसके रसूल (सल.) के वास्ते इन तथाकथित खादिमों के न तो मकानों में सपरिवार ठहरें और ना ही इनकी संसी के गेस्टहाउसों में ठहरें तथा न ही इन तथाकथित खादिमों द्वारा बताये जा रहे या बताये गये अन्य स्थानों पर ठहरें वर्ना उन ठहरने वालों की ना सिर्फ अपनी बहु बेटियों की इज्जत व आबरु से हाथ धोना पडेगा बल्कि वो कभी भी किसी भी प्रकार के हादसा का शिकार हो सकते हैं। इसी प्रकार यह तथाकथित खादिम अजमेर शरीफ के दरगाह के नाम पर विधवाओं के नाम पर अनाथ बच्चों के नाम बिजली पानी लंगर फूल शरीनी के नामों के छापे हुये मनी आर्डर फार्म और प्रचार सामग्री भारत के हर कोने में हर श्रद्धालु को भेजते हैं और उन मनीआर्डर फार्म में व प्रचार सामग्री में अपने नाम के आगे हर खादिम गददी नशीन ख़्वाजा साहब गददीनशीन दरगाह शरीफ गददीनशीन आस्तानाय आलिया आदि उपाधियों का और पदों का षडयंत्र पूर्वक दुरुपयोग कर के लोगों को धोखा दे रहे हैं जबकि इनकी असलियत सिवाय दरगाह शरीफ के चौकीदार गार्ड खादिम के अलावा ओर कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में श्रद्धालु द्वारा भेजी गई रकम मनीआर्डर द्वारा चेक द्वारा बैंक ड्राफ्ट द्वारा पौस्टल आर्डर द्वारा भेजी गयी राशि दरगाह के किसी काम नहीं आती है ऐसे भेजे गये पैसे से न सिर्फ यह लोग अययाशी कर रहे हैं मकान खरीद कर उनको गेस्टहाउस का रुप दे रहे हैं जहां पर यह अनैतिक अडडा एवं ब्लेकमेल जैसे कार्य करने के लिये चला रहे हैं।

इन तथाकथित खादिम चौकीदारों के खिलाफ थानागंज अजमेर से १९७५ से लेकर के १९९२ तक २९५ मुकदमात/एफ.आई. आर. दर्ज है जो भिन्न भिन्न न्यायलयों के अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्थान के बाहर दर्ज है उन एफ. आई आर. में चोरी डकैती बलात्कार याकूबजी रण्डी बाजी अनाधिकृत कब्जे स्मैक की खरीदी फरोख्त आदि आदि धोखाधडी के कत्ल जैसे संगीन जुर्म के अन्तर्गत न सिर्फ दर्ज रजिस्टर है। बकि न्यायालयों में विचारधीन है।

अपने इस लेख में उन महानुभवों का बेहद आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस लेख को पूर्ण करने में न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय दिया बल्कि दूसरे महानुभवों से भी मुलाकात और सम्पर्क करवा कर उनके द्वारा भी ऐतिहासिक पुस्तकों और दूसरे अन्य दस्तावेज एवे विभिन्न अदालतों के निर्णय की सत्य प्रतिलिपी की फोटोकॉपी दिलवाकर पूरा पूरा सहयोग प्रदान किया उनकी इन खिदमात एवं सहयोग के लिये पिशेष रुप से दरगाह कमेटी के भूतपूर्व सदर मोहम्मद सुहेलफाल्की भूतपूर्व उपाध्यक्ष हसन सानी, अहमद निजामी, एवं शब्बीर नक्शबंदी साहेबान का बेहद आभारी हूं जिन्होंने दरगाह का रेकार्ड उपलब्ध करवा कर सही जानकारी प्रदान की तथा दुसरे अन्य महानुभवों में खाजी सैयद सौलत हुसैन, हाजी वजीर अली हाजी युसूफ अली शाह , फजलुल मतीत साहब काजी मो. ,सिद्दीक

आली जनाब
आशिक-ए-ख़्वाजा
सलाम मसनून ।

बाईसे तहरीर है कि अख्बारात साप्ताहिक व महाना मेग्जीन्स व अन्य रिसालों में तथाकथित खादिम साहेबान अजमेर शरीफ के और दिगर लोगों के बारे में जो पढने में आया है उससे बडी तकलीफ और मानसिक आघात पहूंचा है। इस प्रकार के लेख से बडी बदनामी होती है। बलात्कार इज्जत आबरु और दरगाह में हो रही लूट खसोट की आये दिन वादातें मनजरे आम पर आती हैं जो बडी शर्म की बात है।

अगर जायरीने ख़्वाजा खुद को सम्हालें और देखें तो तमाम परेशानियों से बच सकते हैं । जैसे अगर वह तथाकथित खादिमों के तंग तारीख मकानात व उनके मोहल्लों में बने गेस्ट हाउसो को किराय पर न लें और न उन मकानों, गेस्ट हाउस में सपरिवार ठहरें और न उनके यहो बसर औकात ठहरें और न ही तथाकथित खादिमों के निर्देश पर चादरें व नजरों पर फिजूलखर्ची ना करें बल्कि जायरीन जहां का वह रहने वाला है उसी जगह पर यह रुपया विधवाओं व अनाथ बच्चों पर खर्च करें तो सकीन्न ख़्वाजा गरीब नवाज का सही मिशन पूरा होगा । इसी अमल से गरीब नवाज की रुह खुश होगी, यही उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने का एक मात्र तरीका है। इसलिए जायरीनों को चाहिये वे वह अपने गांव , कस्बे तहसील, शहरों राज्यों में धर्म की उंची से उंची तालीम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और तथाकथित खादिमों को बिल्कुल नजरो नियाज बजरीये मनिआर्डर भेजना बंद करें और अपनी बहु बेटीसों की इज्जत व आबरु व उनके साथ बलात्कार वगैरह की दुर्घटनाओं से बचना है तो उनके यहां हरगिज हरगिज न ठहरें और न ही और न इको नजरो नियाज के पैसा वगैराह भेजने का इन्तेजाम करवायें क्योंकि आपके भेजे गये पैसे से यह दिल खोल कर अयाशी कर रहे हैं शराब नोशी कर रहे हैं। बलात्कार कर रहे हैं। जिससे बहुत बदनामी हो रही है इसके बाजूद भी अगर आप रुपये भेज कर के इनकी इन हरकतों का बढावा देते हैं तो आप भी बराबर के गुनाहगार हैं क्योंकि उस गुनाह को करने वाला गुनहगार और रुपया फराहम करने वाला भी बराबर का शरीक व गुनहगार है।

खेर ख़्वाह
अकीदतमंद-ए-ख़्वाजा

पीर एम. एस. चिश्ती साहब , पीर जहीर अहमद चिश्ती पीर गुलाम मोईनुद्दीन ,पीर गुलाम जैलानी , शाह बाबा, सैयद अहमद रसीद सलीम, जियाउद्दीन सिदकी, जनाब लियाकत साह जनाब मौलाना अब्दुल गनी साहब, जनाब हकीम मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, जनाब मौलाना फखरुद्दीन साहब, सैयद मुजफुर अली बाबा मो. हुसैन गुजर साहब मो. फारुख आदि आदि का मैं बहुत आभारी और ऋणीं हूं कि जिन्हों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपने पास उपलब्ध उपरोक्त ऐतिहासिक पुस्तकों व अन्य दस्तावेज को उपलब्ध करवाया और किया और अपने ज्ञान व जानकारी से अवगत करवा कर इस लेख को पूर्ण करने में मुझे सहयोग प्रदान किया है और भारत वासियों को जो इन तथाकथित खादिमों चौकीदारों के झुठे बहकावे में आकर अन्धकार में घिरे हुये हैं उनको सच्चाई से अवगत करवाकर जो नई दिशा और रोशनी प्रदान की है खिदमत देने का अवसर प्रदान की हैं , उसके लिये अल्लाह तआला इसका अजरे अजीम उपरोक्त लोगों को पहुंचाये मुणे आइन्दा भी इस प्रकार खिदमत देने का अवसर प्रदान करे (आमीन, सुम्माआमीन)

अकीदतमंद-ए- ख़्वाजा

-: मिनजानिब :-

मरहूम अब्दुल गफ्फार सेठ ,हाजी मदनी रेंजर साहब , हाजी अब्दुल हक,हाजी अब्दुल वहीद पटेल साहब , हमीद पेंटर, गफ्फार भाई फोरमेन, शौकत मिस्त्री हाजी कुतुब उद्दीन , शब्बीर मिस्त्री, युसूफ कुरैशी नाज सायकल स्टोर्स, मोईन मिस्त्री , शरीफ उल्ला , मो. इकबाल ,नईम भाटी , अब्दुल कदीर बाबू, शाहिद सिद्दीकी ,खालिक कुरैशी,सईद भाई खानसामा,निजाम भाटी, अ. हनीफ मोटर ऑनर्स ,अ. मन्नान कुरैशी नवरन सायकल स्टोर्स अकील भरवेली ,शांति लाल जैन कटंगी, अशोक पिंचा कटंगी, रहमान मिस्त्री, मंजर बालाघाटी अज्जु मिस्त्री कटंगी, अ. करीम टेलर बालाघाट नजीर भाई अ. सलाम ड्राइवर, अ. बारी अहमदपुर
राशिद राही पाकीजा स्टार्स जामा मस्जिद बालाघाट,
खैर ख्वाह व तमाम अकीदत मंद ए ख़्वाजा साहब ,
बालाघाट (म.प्र.) ४८१००१